न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 57 / 17 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. हरिसिंह पिता मोतिसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता गिरधारी बैरवा आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. गणेश पिता गिरधारी बैरवा आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. भैरूसिंह पिता सांवतसिंह राजपुत आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. प्यारी पत्नि उंकारलाल बैरवा आयु वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 06.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1954 / 1643 रकबा 0.71 हे0, भुमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.71 हे0, भूमि खाता संख्या 308 मे दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रैस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने की वजह से पक्षकारान के दरमीयान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पेदा होते रहते है तथा प्रार्थी को घास काटने मे सीमा विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 24 / 04 / 2017 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहां लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 03.05.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 3 व 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कारवाई नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1954 / 1643 रकबा 0.71 हे0, भुमि कुल किता 1 कुल रकबा 0.71 हे0, भूमि खाता संख्या 308 मे दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का

कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 330/- अक्षरे तीन सौ तीस रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
06/6/17